

नियम 34 : मूल्य के अवधारण के लिए भारतीय रुपए से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दर

- (1) कराधेय माल के मूल्य का अवधारण करने के लिए विनिमय की दर अधिनियम की धारा 12 के निबंधनों में ऐसे मालों की पूर्ति के समय की तारीख के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित विनिमय की लागू दर होगी।
- (2) कराधेय सेवाओं के मूल्य का अवधारण करने के लिए विनिमय की दर अधिनियम की धारा 13 के निबंधनों में ऐसी सेवाओं की पूर्ति के समय की तारीख को साधारणतया स्वीकृति लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित लागू विनिमय दर होगी।]

1 अधिसूचना क्रमांक 17 / 2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.07.2017 द्वारा नियम 34 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 27.07.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

“नियम 34 : मूल्य के अवधारण के लिए भारतीय रुपए से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दर

कराधेय माल या सेवा या दोनों के मूल्य के अवधारण के लिए विनिमय की दर, अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 12 या धारा 13 के निबंधनानुसार ऐसी प्रदाय की बाबत प्रदाय के समय की तारीख पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अवधारित उस मुद्रा के लिए लागू निर्देश दर होगी।”